न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 272 सन 2020

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र सुलतान जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र सुलतान जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर (हनुमानगढ)
2. रामलाल पुत्र सुलतान जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर (हनुमानगढ)
3. भागीरथ पुत्र सुलतान जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर (हनुमानगढ)
4. मनफूल पुत्र सुलतान सुलतान जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर (हनुमानगढ)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 14/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 80/41 की कुल 4.8070हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1/3 हिस्सा भूमि है तथा खाता संख्या 118/114 की 0.2530हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है इसी प्रकार खाता संख्या 32/29 की 0.2530हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा खाता संख्या 69/68 की कुल 3.6560हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है ।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है बाहमी बटवारा में

वाद भूमि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी – बी के खाता संख्या 80/41 के प0न0 236/405(24) के किला न0 10/0.253 ,व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी – बी के खाता संख्या 32/29 के प0न0 237/405(25) के किला न0 11/0.253 हैक्व भूमि प्रतिवादी संख्या 3 भागीरथ को प्राप्त हुई एवं रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी– बी के खाता संख्या 118/114 के प0न0 236/404(11) के किला न0 10/0.253 ,9/0.253 हैक भूमि वादी देवीलाल को प्राप्त हुई थी

वादी एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से हुए बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ले तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये वाद पेश किया गया है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसाार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त करने की सुविधा के मध्यनजर बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 80/41 की कुल 4.8070हैक-भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1/3 हिस्सा भूमि है तथा खाता संख्या 118/114 की 0.2530हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है इसी प्रकार खाता संख्या 32/29 की 0.2530हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा खाता संख्या 69/68 की कुल 3.6560हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है ।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है बाहमी बटवारा में

वाद भूमि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी – बी के खाता संख्या 80/41 के प0न0 236/405(24) के किला न0 10/0.253 ,व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी – बी के खाता संख्या 32/29 के प0न0 237/405(25) के किला न0 11/0.253 हैक्क भूमि प्रतिवादी संख्या 3 भागीरथ को प्राप्त हुई एवं रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी– बी के खाता संख्या 118/114 के प0न0 236/404(11) के किला न0 10/0.253 ,9/0.253 हैक भूमि वादी देवीलाल को प्राप्त हुई थी

वादी एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से हुए बाहमी बटवारा के अनुसार ही भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 80/41 की कुल 4.8070हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम 1/3 हिस्सा भूमि है तथा खाता संख्या 118/114 की 0.2530हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है इसी प्रकार खाता संख्या 32/29 की 0.2530हैक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा खाता संख्या 69/68 की कुल 3.6560हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जो सयुक्त तौर से राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खातेदार काश्तकार है वादी का कथन है वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य आपसी सहमति से भूमि काश्त करने की सूविधा के मध्यजनर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

एक ही परिवार के सदस्य जो सयुक्त खातेदार हो आपसी सहमति से काश्त की सुविधा के मध्यनजर बाहमी बटवारा करने के अधिकारी है एवं बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाई जा सकती है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी – बी के खाता संख्या 80/41 के प0न0 236/405(24) के किला न0 10/0.253 ,व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी – बी के खाता संख्या 32/29 के प0न0 237/405(25) के किला न0 11/0.253 हैक्व भूमि प्रतिवादी संख्या 3 भागीरथ को एवं रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी– बी के खाता संख्या 118/114 के प0न0 236/404(11) के किला न0 10/0.253 ,9/0.253 हैक्व भूमि वादी देवीलाल को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. देवीलाल पुत्र सुलतान जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 गोपाल पुत्र सुलतान जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर (हनुमानगढ)
2 रामलाल पुत्र सुलतान जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर (हनुमानगढ)
3 भागीरथ पुत्र सुलतान जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर (हनुमानगढ)
4 मनफूल पुत्र सुलतान सुलतान जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर (हनुमानगढ)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 272 सन 2020 निर्णय दिनांक–14/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी – बी के खाता संख्या 80 / 41 के प0न0 236 / 405(24) के किला न0 10 / 0.253 ,व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी – बी के खाता संख्या 32 / 29 के प0न0 237 / 405(25) के किला न0 11 / 0.253 हैक्क भूमि प्रतिवादी संख्या 3 भागीरथ को एवं रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी– बी के खाता संख्या 118 / 114 के प0न0 236 / 404(11) के किला न0 10 / 0.253 ,9 / 0.253 हैक भूमि वादी देवीलाल को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)